प्रथम सूचना रिपोर्ट (अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.	जिला बीकानेर — थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुरवर्ष2022		
2.			
	(I) * अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा – 7		
	(II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा —		
	(III) * अधिनियम = धाराएं = -		
	(IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं		
3	(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या <u>2\2</u> समय <i>5\0.6\M</i> :		
Ο.	(ब) अपराध घटने का दिन व समय— सोमवार दिनांक 09.05.2022 वक्त 04:10 पी.एम		
	(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक —04.05.2022 वक्त 04:50 पी.एम		
4.	सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक - लिखित		
	घटनास्थल :		
	(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी — दक्षिण—पश्चिम करीब 01 किलोमीटर		
	(ब) पता — आरोपी का प्राईवेट ऑफिस हनुमानहत्था बीकानेर।		
	बीटसंख्याजुरायमदेही सं		
	(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना		
6.	परिवादी / सूचनाकर्ता :		
	(अ) नाम – श्री इन्द्रसिंह		
	(ब) पिता / पित का नाम — श्री गोपीसिंह		
	(स) जन्म तिथि / आयु — 27 वर्ष		
	(द) राष्ट्रीयता — भारतीय		
	(य) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि जारी होने की जगह		
	(र) पेशा — कृषि कार्य		
	(ल) पता — गांव खारा तहसील व जिला बीकानेर		
7.	ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-		
	1. संदीप कमार स्वामी पत्र श्री रमेश कमार स्वामी उम्र—40 वर्ष निवासी 3 सी 13 मरलीध		
	1. संदीप कुमार स्वामी पुत्र श्री रमेश कुमार स्वामी उम्र—40 वर्ष निवासी 3 सी 13 मुरलीध व्यास कॉलोनी बीकानेर हाल राजस्व पटवारी, पटवार हल्का खारा तहसील व जिल		
	बीकानेर।		
8.	परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं।		
9.	चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)		
10.). चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य		
11.	पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)		
12.	विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :		
मह	दियं,		

निवेदन है कि दिनांक 04.05.2022 को परिवादी श्री इन्द्रसिंह द्वारा स्वंय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। विषय — भ्रष्ट पटवारी संदीप स्वामी को रिश्वत लेते रगें हाथों पकड़ावाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैं इन्द्रसिंह पुत्र गोपीसिंह जाति राजपूत निवासी खारा तहसील बीकानेर जिला बीकानेर का निवासी हूं। हमारी 35 बीघा कृषि गांव खारा में है, जो मेरे पिताजी के नाम से थी। मेरे पिताजी का वर्ष 2015 में स्वर्गवास हो चुका है। मेरी चार बहिनो ने अपनी हिस्से की जमीन करीब 02 माह पूर्व हम चार भाई व एक बहिन के नाम गिफ्ट की थी। इसके नामान्तरण के लिए मैं हमारे हल्का पटवारी श्री संदीप स्वामी से मिला था, और उन्होने गिफ्ट रिजस्ट्री के कागजात दिये थे, तो उन्होने कहा कि नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए खर्चा लगेगा, तो मेरे

पास उस समय पैसे नहीं थे, फिर मैंने पटवारी से हाथा जोड़ी की तो पटवारी ने कहा कि नामान्तकरण दर्ज होने के बाद मैं जितने पैसे के लिए कहू, उतने पैसे आपको देने होगे, जिस पर मैंने हॉ भर दी थी। अब 19 अप्रैल को हमारे नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया, परन्तु मैं पटवारी जी से अभी तक नहीं मिला, अब मुझे जमीन पर केसीसी लॉन लेना है, जिसमें भूमि प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आज मैंने इस काम के लिए पटवारी जी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ऑफिस में मिल जाउगॉ, परन्तु मैंने पटवारी जी को पहले नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु रिश्वत नहीं दी थी, आज पटवारी मेरे से पहले वाले काम नामान्तकरण की एवज में एवं अब भूमि प्रमाण पत्र देने के लिए रिश्वत मांग सकता है। मैं मेरे जायज काम के लिए पटवारी जी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। पटवारी जी को रंगे हाथ पकड़ाने चाहता हूं। कृप्या कानूनी कार्यवाही करावे। एस.डी—प्रार्थी इन्द्रसिंह पुत्र गोपीसिंह निवासी खारा तहसील बीकानेर जिला बीकानेर मो. 8619708765

वक्त 4.50 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनियाँ ने मन पुलिस निरीक्षक आनन्द कुमार को अपने कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति को परिवादी होना बताते हुए परिचय करवाया गया जिसमें परिवादी का नाम इन्द्रसिह पुत्र श्री गोपीसिंह जाति राजपूत उम्र 27 वर्ष निवासी खारा तहसील व जिला बीकानेर होना बताया। परिवादी श्री इन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द की गई। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन कर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी इन्द्रिसिंह के अपने कार्यालय कक्ष मे उपस्थित हुआ। मजीद दरियाफत पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने बताया कि मै कक्षा पाँचवी तक पढ़ा लिखा हूं, वर्ष 2015 में मेरे पिताजी गोपीसिह का स्वर्गवास हो गया था। मेरे पिताजी के नाम से रोही खारा में 02 जगह कृषि भूमि रकबा 22 1/2 व 13 बीघा थी, जो विरासतन इन्तकाल के जरिये हम 04 भाईयो व 05 बहिनो के नाम से दर्ज हुआ था, फिर मेरी चार शादी शुदा बहिने ने अपने-अपने हिस्से की भूमि को चार भाईयों व एक छोटी बहिन के नाम से गिफट कर दी थी। गिफट करने के बाद नामान्तरण दर्ज करने हेतु करीबन 02 माह पूर्व मै हल्का पटवारी संदीप स्वामी से मिला व गिफट रिजस्ट्री के कागजात पटवारी कों दिये थे। तब मेरे को कहा कि नामान्तरण दर्ज करने के लिए खर्चा लगेगा, पटवारी जी उस समय मेरे से रिश्वत लेना चाहता थे, परन्तु उस दिन मेरे पास रूपये नहीं थे। पटवारी जी ने मेरे को कहा कि अब नहीं है तो नामान्तकरण दर्ज होने के बाद जितना मागू उतना खर्चा पानी मेरे को देकर जाना है। पटवारी जी ने मेरा 19 अप्रैल को नामान्तरण तो दर्ज कर दिया है परन्तु अब मुझे पटवारी से हमारी जमीन पर केसीसी लॉन लेने हेतु भूमि प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आज मैने दोपहर मे मेरे मोबाईल नम्बर 8619708765 से पटवारी जी संदीप स्वामी के मोबाईल नम्बर 9667611479 पर वार्ता की तो पटवारी जी ने कहा कि मै ऑफिस मे मिल जाउगाँ, तू ऑफिस आ जा। पटवारी संदीप स्वामी ने 19 अप्रैल को हमारे नाम किये गये नामान्तरण दर्ज के एवज मे एवं भूमि प्रमाण पत्र देने की एवज में रिश्वत की मांग करेगा। मै पटवारी संदीप स्वामी को मेरे जायज कार्य की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता व रंगे हाथों पकड़ावना चाहता हूं। मेरी पटवारी संदीप स्वामी से कोई रंजिश व न ही कोई उधारी लेन देन है। यह लिखित रिपोर्ट मेरी हस्त लेख मे है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर है, जो सही है।

1

परिवादी श्री इन्द्रसिंह को रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की प्रक्रिया से समझाया गया परिवादी ने बताया कि पटवारी संदीप स्वामी का कलेक्ट्रेट के पास प्राइवेट ऑफिस है। पटवारी संदीप स्वामी से उनके ऑफिस मे जाकर उनसे मिलकर वार्ता करके सत्यापन करवा दूगां। इस पर श्री हरिराम कानि. के जरिये ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय नया मैमोरी कार्ड मगवाया जाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड स्थापित किया गया। परिवादी को वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री हरीराम कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के साथ सत्यापन कार्यवाही हेतु रवाना किया। वक्त 6.15 पीएम पर श्री हरिराम कानिस्टेबल नम्बर 210 मय परिवादी इन्द्रसिंह के उपस्थित आया। डिजीटल टेप रिकार्डर श्री हरिराम कानिस्टेबल ने मन पुलिस

निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी इन्द्रसिंह ने बताया कि मै डिजीटल टेप रिकार्डर चालू करवाकर पटवारी जी से बातचीत करने उनके ऑफिस में गया था परंतु पटवारी जी नहीं मिले। फिर मै वापिस हरिराम जी के पास आ गया था इन्होंने मेरे से डिजीटल टेप रिकार्डर प्राप्त बन्द कर लिया था। मै कल पटवारी जी की मौजूदगी का मालूमात कर सत्यापन कार्यवाही के लिए आपसे सम्पर्क कर लूंगा। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्रसिंह को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखस्त किया गया।

दिनांक 06.05.2022 को समय 01:05 पी.एम. पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। श्री इन्द्रसिंह ने बताया कि कल दिनांक 05.05.2022 को मैने पटवारी संदीप स्वामी की मौजूदगी का मालूमात किया था, कल पटवारी जी ऑफिस में नही थे इस कारण मै ब्यूरो कार्यालय में नही आया था, आज संदीप स्वामी पटवारी अपने ऑफिस में आने की जानकारी है। मै पटवारी से रूबरू होकर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर श्री रतनसिंह कानिस्टेबल को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री इन्द्रसिंह से आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट एवं आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से की जा रहो रिश्वत की मांग के तथ्यों के सम्बंध में श्री रतनसिंह कानिस्टेबल को अवगत करवाया गया तथा परिवादी के साथ सत्यापन हेतु डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर खाना किया गया। वक्त 02:00 पी.एम. पर श्री रतनसिंह कानिस्टेबल मय परिवादी श्री इन्द्रसिंह के उपस्थित आया। डिजीटल टेप रिकार्डर श्री रतनसिंह कानिस्टेबल ने मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया एवं बताया कि कार्यालय हाजा से रवाना होकर परिवादी के बताये अनुसार आरोपी पटवारी संदीप स्वामी के हनुमानहत्था स्थित प्राईवेट कार्यालय के नजदीक पंहुचे जहां से डिजीटल टेप रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने हेतु खाना किया था, मै वही आस पास मुकीम रहा। करीब 20-25 मिनट बाद परिवादी वापिस आया तो मैने डिजीटल टेप रिकार्डर बन्द कर लिया था। परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने उक्त तथ्य दौहराते हुए बताया कि जब मै पटवारी संदीप स्वामी के प्राईवेट ऑफिस में गया तो पटवारी जी के पास अन्य दो तीन व्यक्ति अपने काम से बैठे थे, मैने भी मेरे काम के सम्बंध में पटवारी से बातचीत की तो मेरे पूर्व में दर्ज दो नामान्तकरण की एवज में 2000-2000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा मुझे कहा कि अब कितने लाये हो, मैने कहा पटवारी जी अब तो मेरे पास कम ही है, मैने पांच सौ रूपये निकाले जो पटवारी जी ने मेरे से ले लिये, उसके बाद मुझे भूमि प्रमाण पत्र अपने हस्ताक्षर कर दे दिया, इसके साथ जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिया भी दी है जो मै लेकर आया हूँ। इस पर डिजीटल टेप रिकार्डर को रूबरू परिवादी एवं श्री रतनसिंह कानि के सुना गया तो इसमें वार्ता रिकार्ड होना पायी गई। परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का अलवोकन किया गया जो इन्द्रसिंह, रधुवीरसिंह, राजेन्द्रसिंह, शिवराजिसह, सीताकंवर पुत्र, पुत्रिया गोपीसिंह खसरा नम्बर 108/30, 108/31, 108/38 व खाता संख्या 03 से सम्बंधित है जिस पर संदीप कुमार स्वामी पटवारी प.म. खारा तहसील बीकानेर की रबड़ मोहर पर परिवादी के बताये अनुसार संदीप स्वामी पटवारी के हस्ताक्षर है जिस पर दिनांक 06.05.2022 अंकित है। तत्पश्चात उक्त रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसिकप्ट तैयार करवाने के सम्बंध में परिवादी को अवगत कराया गया तो परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने बताया कि मुझे आज जरूरी काम से गांव जाना है, मै ट्रांसकिप्ट के लिए रविवार दिनांक 08.05.2022 को उपस्थिति हो जाउंगा। इस पर डिजीटल टेप रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी को आरोपी द्वारा दिये गये उक्त कांगजात की फोटो प्रतिया परिवादी ने पेश की जो शामिल कागजात किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्रसिंह को कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। चूंकि दिनांक 7 एवं 8.05.2022 को राजपत्रित अवकाश होने तथा अग्रिम कार्य दिवस में स्वतंत्र गवाह की आवश्यक को मध्यनजर रखते हुए अतिरिक्त मुख्य अभियंता पीएचईडी बीकानेर के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा को सुपुर्द कर गवाह तलब करने पर श्री हेमन्तशर्मा एवं श्री शिव आचार्य कनिष्ठ सहायकगण उपस्थित आये। दोनो कार्मिको को दिनांक 09.05.2022 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखस्त किया गया। दिनांक 8.05.2022 को परिवादी श्री इन्द्रसिंह ब्यूरो कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक के कक्ष में उपस्थित आया। तत्पश्चात सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसिकप्ट एवं दो डी.वी.डी तैयार कर

संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक डी.वी.डी. को सीलचिट किया गया। मूल मैमोरी कार्ड डिजीटल टेप रिकार्डर में ही स्थापित रहने दिया। परिवादी श्री इन्द्रसिंह को निर्देशित किया गया कि कल प्रातः 9:30 ए.एम. पर कार्यवाही हेतु 4000 / — रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित होवे। तत्पश्चात परिवादी को रूखस्त किया गया।

दिनांक 09.05.2022 को वक्त 10:00 ए.एम. पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह निवासी खारा तहसील व जिला बीकानेर एवं पाबन्दशुदा श्री हेमन्त शर्मा किनष्ठ सहायक एवं श्री शिव आचार्य किनष्ठ सहायक कार्यालय गिएचईडी जेलवैल बीकानेर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री इन्द्रसिंह एवं श्री हेमन्त शर्मा किनष्ठ सहायक एवं श्री शिव आचार्य किनष्ठ सहायक कार्यालय पीएचईडी जेलवैल बीकानेर का आपसी परिचय करवाया गया। श्री हेमन्त शर्मा किनष्ठ सहायक एवं श्री शिव आचार्य किनष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय में बुलाये जाने का प्रयोजन बताया जाकर ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमित चाहे जाने पर दोनो ने अपनी अपनी स्वैच्छिक सहमित दी। तत्पश्चात दोनो को कार्यवाही में शामिल कर परिवादी के प्रार्थना का अवलोकन करवाया गया एवं आरोपी पटवारी द्वारा की जा रही रिश्वत की मांग के तथ्यों के सम्बंध में अवगत कराया गया। वक्त 10:30 ए.एम. पर परिवादी श्री इन्द्र सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द कुमार के निर्देश पर रूबरू उक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु आरोपी श्री संदीप स्वामी, पटवारी, पटवार हल्का खारा, तहसील व जिला बीकानेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500—500 रूपये के आठ नोट कुल राशि 4,000 /— रूपये भारतीय मुद्रा के निम्न वर्णन के पेश किये—

क. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट	9CS 274917
2.	एक 500 रूपये का नोट	5RV 157982
3.	एक 500 रूपये का नोट	3DG 326313
4.	एक 500 रूपये का नोट	8SM 423396
5.	एक 500 रूपये का नोट	2CF 948161
6.	एक 500 रूपये का नोट	0EP 434792
7.	एक 500 रूपये का नोट	8GA 467964
8.	एक 500 रूपये का नोट	5ET 772361

श्री अशोक कुमार कानिस्टेबल नंबर 81 से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कानि. से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउंडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री इन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री हेमन्त शर्मा से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 4,000/- रूपये परिवादी के पहनी हुई शर्ट की ऊपरी सामने की बायीं जेब में श्री अशोक कुमार कानि. से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दो गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेनदेन के दौरान एवं रिश्वती लेन-देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन-देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर ईशारा करे तथा यदि बाहर आकर ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल / कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री अशोक कुमार कानि. के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहाने को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउंडर की आपँसी रसायनिक प्रतिकिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउंडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक

घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। श्री अशोक कुमार कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को कार्यलय में पूर्व से प्रयुक्त डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर हिदायत की गई कि इस डिजीटल टेप रिकार्डर में आरोपी श्री संदीप स्वामी, पटवारी से रिश्वती लेन-देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करें। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही मुर्तिब की गई। परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने बताया कि मैने यहा कार्यालय में आने से पूर्व संदीप स्वामी पटवारी की मौजूदगी का मालूमात किया था, पटवारी जी आज दोपहर में ही अपने प्राईवेट ऑफिस आयेगें। इस पर दोनों गवाहान एवं परिवादी को हमराही कक्ष में ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई। वक्त 01:30 पी.एम. पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने बताया कि इस वक्त के लगभग संदीप स्वामी पटवारी अपने प्राईवेट ऑफिस आ जाता है अब मिलने की पूर्ण संभावना है। इस पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह को सुपुर्द डिजीटल टेप रिकार्डर चालू करवाकर उसकी मोटर साईकिल से रवाना कर परिवादी के पीछे पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान जरिये निजि कार, श्री अनिल कुमार कानिस्टेबल व हरिराम कानिस्टेबल जरिये निजि मोटर तथा श्री कन्हैयालाल एवं श्री रतनसिंह कानिस्टेबल जरिये निजि मोटर साईकिल बजानिब हनुमानहत्था बीकानेर के लिए मय ट्रेप सामग्री हमराह लेकर रवाना हुआ। वक्त 01:35 पी.एम. पर हनुमानहत्था स्थिति जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के नजदीक पंहुचे। उक्त कार्यालय से कुछ आगे परिवादी अपनी मोटर साईकिल को खड़ी करके एक आवास के गेट में प्रवेश हुआ इस दौरान शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों ने अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के ईशारा के इंतजार में मुकीम हुए।

वक्त 4.10 पी.एम पर परिवादी श्री इन्द्र सिंह ने अपने मोबाईल नंबर 8619708765 से मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द कुमार के मोबाईल नंबर 9460126171 पर मिस कॉल कर ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया, इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान सर्वे श्री हेमन्त शर्मा व शिव आचार्य, श्री बजरंग सिंह मुख्य आरक्षक एवं आस पास मुकीम शुदा श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम कानि, श्री रतन सिंह, श्री कन्हैयालाल कानिस्टेबल अविलम्ब रवाना हुए तो सामने से परिवादी अपनी मोटरसाईकिल पर आता दिखाई दिया जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने कॉलबेक किया तो परिवादी ने बताया कि साहब तीन हजार रूपये पटवारी जी ने लिये है। जिस पर परिवादी से तत्काल उसकी मोटरसाईकिल साईड में खड़ी करवाकर परिवादी को साथ लेकर हमराही ट्रेप पार्टी सदस्यों के परिवादी के बताये अनुसार आरोपी के प्राईवेट कार्यालय के बाहर मैन गेट पर पहुंचा, परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। इसी दौरान परिवादी ने आरोपी के प्राईवेट ऑफिस के कक्ष की तरफ ईशारा कर बताया कि पटवारी श्री संदीप स्वामी अंदर बैठे हैं, जिन्होंने मेरे से पूर्व में दर्ज दो नामान्तकरण के बदले में रिश्वत राशि 4000 / - रूपये लेकर गिनकर अपने पास रखे, मेरे निवेदन पर 1000 / - रूपये मुझे वापिस लौटाये हैं तथा 3000 / -रूपये पटवारी श्री संदीप स्वामी ने अपने पहनी जींस पेंट की सामने की बांयी जेब में रखे हैं। तत्पश्चात हमराही सभी के आरोपी के प्राईवेट ऑफिस के कक्ष में प्रवेश हुआ तो कक्ष में गेट के दाहिनी साईड में एक टेबल कुर्सी पर हष्ट पुष्ठ व्यक्ति बैठा मिला, जिसको परिवादी ने पटवारी संदीप स्वामी होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का पूर्ण परिचय देकर आने का मकसद बताते हुए परिचय पूछा तो अपना नाम संदीप कुमार स्वामी पुत्र श्री रमेश कुमार स्वामी, निवासी 3 सी 13, मुरलीधर व्यास कॉलोनी बीकानेर हॉल राजस्व पटवारी पटवार हल्का खारा, तहसील व जिला बीकानेर होना बताते हुए परिवादी श्री इन्द्र सिंह की तरफ देखते हुए कहा कि आपने ये क्या कर दिया इन्द्र सिंह, आपसे यह उम्मीद नहीं थी, कहते हुए मायूस हो गया। श्री संदीप कुमार स्वामी पटवारी से परिवादी श्री इन्द्र सिंह से रिश्वत राशि किस बाबत ली गई का पूछने पर बताया कि साहब मैंने इससे कोई रिश्वत नहीं ली है, मेरे पास इसका कोई काम नहीं है। इस इन्द्र सिंह के दो नामान्तरकरण अप्रेल महिने में मैंने दर्ज कर दिये थे, जिनमें से एक नामान्तरकरण की नकल भी इन्द्र सिंह को मैंने दिनांक 06.05.2022 को दे दी थी। दिनांक 06. 05.2022 को यह मेरे पास आया था, इसने भूमि प्रमाण पत्र देने के लिए मुझे कहा था, मैंने

भूमि प्रमाण पत्र भी तैयार करके इसको दे दिया था, आज मेरे पास इसका कोई भी काम पैंडिंग नहीं है, न ही मैंने इससे रिश्वत की मांग की, इसने अभी मुझे 500–500 रूपये के नोट दिये थे जो इसने अपनी मर्जी से दिये थे, फिर उसमें से भी मेरे से इसने वापिस देने की मांग की थी, जिस पर मैंने इसको 1000 / - रूपये वापिस लौटा दिये थे, इन्द्र सिंह ने राजीखुशी दिये थे, मैंने इसको आज नहीं बुलाया था। इस पर मौजूदा परिवादी श्री इन्द्र सिंह ने स्वतः ही बताया कि साहब दिनांक 06.05.2022 को मैं इनके पास इसी ऑफिस में मिला था, मुझे मेरे एक नामान्तकरण संख्या 114 दिनांक 05.04.2022 व जमाबंदी तथा भूमि प्रमाण पत्र तैयार करके दिये थे, उस दौरान इन्होंने मुझे कहा कि आपके दो नामान्करण दर्ज कर दिये है, पटवारी जी ने नामान्तकरण के दो-दों हजार रूपये कुल 4000 / - रूपये रिश्वत की मांग की थी व मुझे कहा कि आज कितने लाये हो, तो मैंने पटवारी जी को कहा था कि आज तो मेरे पास कम ही हैं, उस दौरान मेरे से पटवारीजी ने 500 / - रूपये रिश्वत के लिए थे। पटवारीजी द्वारा दिनांक 06.05.2022 को की गई 4000 / -रूपये रिश्वत की मांग के कम में आज इन्होंने मेरे से 4000 / - रूपये रिश्वत के लेकर मेरे द्वारा निवेदन करने पर 1000 / - रूपये मुझे वापिस लौटाये हैं जो मेरे पास है तथा 3000 / - रूपये पटवारजी की जिंस पेंट की सामने की बांयी जेब में हैं। मौके पर रिश्वत राशि लेन-देन की पुष्टि होने पर श्री हरिराम कानिस्टेबल से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर दो साफ कांच के गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाया जाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनवाया गया जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी संदीप कुमार स्वामी पटवारी के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा—आधा भरवाकर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर 1, आर 2 अंकित किये गये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में संदीप कुमार स्वामी पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे भी दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल-1, एल—2 अंकित किये गये। आरोपी संदीप कुमार स्वामी पटवारी को रिश्वत राशि पेश करने के निर्देश पर आरोपी ने अपने पहनी जिस पेंट की सामने की बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई निकालकर पेश की जो गवाह श्री हेमन्त शर्मा को दिलवाकर गिनवाये गये तो गवाह ने नोटों को गिनकर 500-500 रूपये के 6 नोट कुल 3000/-रूपये होना बताये। दोनों गवाहान से नोटों के नंबरों का मिलान पूर्व से बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो गवाहान ने नोटों के नंबर हूबहू पाये गये, उक्त नोटों को गवाह श्री हेमन्त शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। मौका पर कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने से आरोपी संदीप कुमार स्वामी राजस्व पटवारी से उसके प्राईवेट ऑफिस के कक्ष को लॉक करवाकर मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इन्द्र सिंह, ब्यूरो स्टाफ एवं आरोपी संदीप कुमार को उसकी निजी कार आरजे 07 सीबी 5790 सहित हमराह लेकर अग्रिम कार्यवाही हेत्र इस वक्त ब्यूरो कार्यालय पहुंचा एवं अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। निर्देश पर गवाह श्री हेमन्त शर्मा ने अपने पास सुरक्षित रखी रिश्वती राशि पेश की, जिनके नम्बर फर्द में अंकित कर नोटो को सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात निर्देश पर परिवादी श्री इन्द्र सिंह ने 500–500 रूपये के दो नोट जो आरोपी द्वारा परिवादी को वापिस लौटाये गये थे पेश किये, जिनके नंबर भी फर्द में अंकित कर नोटो को सफेद कपड़े के साथ सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी के पहने हेतु दुसरी पेन्ट की व्यवस्था करवाकर पहनी जिन्स पेन्ट को उतरवाया गया। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया, जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के इस गिलास मे आरोपी की उतरवाई गई जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब को उल्टवाकर रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर जेब का धोवन लिया गया जो धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त जिंस पेंट बरंग नीली की जेब को सुखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया

तथा द्रैप कार्यवाही मे प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब कर फर्द पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी को जुर्म से आगाह कर जिरये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की कार की जिरये फर्द खाना तलाशी की गई तथा रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसिकप्ट रूबरू गवाहान व परिवादी के तैयार करनी प्रारम्भ की गई। इस दौरान आरोपी का स्वास्थय परीक्षण करवाने हेतु वक्त 9.00 पीएम पर श्री कन्हैयालाल कानि., श्री हरीराम कानि. 210 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री सहदेव मय आरोपी के रवाना किया गया था, जो बाद स्वास्थय परीक्षण करवाकर वक्त 10.15 पीएम पर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। तत्पश्चात आरोपी को रात्रि सुरक्षा हेतु श्री हरीराम कानि. 210 जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री सहदेव के पुलिस थाना सदर जिला बीकानेर को रवाना किया गया, जो आरोपी को धाना सदर बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर वक्त 10.50 पीएम पर उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। वक्त 10.55 पीएम तक रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसिकप्ट एवं डीवीडी तैयार होने पर डी.वी.डी. एवं मूल मैमोरी कार्ड को सीलचिट किया गया। ट्रैप कार्यवाही मे प्रयुक्त पीतल की सील को अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण मुर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समस्त वजह सबूत श्री बजरगसिंह हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। तत्पश्चात दोनो खंतत्र गवाहान व परिवादी श्री इन्द्रसिंह को कार्यवाही से रूकसत किया गया। आरोपी पटवारी को दिनांक 10.05.2022 को माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाये जाने का आदेश प्रदान करने पर आरोपी संदीप कुमार स्वामी पटवारी को केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

उपरोक्त घटना कम से पाया गया कि परिवादी श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री गोपीसिह जाति राजपूत निवासी खारा तहसील व जिला बीकानेर की कृषि भूमि रोही खारा तहसील व जिला बीकानेर का नामान्तरण दर्ज करने की एवज मे आरोपी संदीप कुमार स्वामी राजस्व पटवारी पटवार हल्का खारा तहसील व जिला बीकानेर द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की गई। परिवादी श्री इन्द्रसिह द्वारा ब्यूरो मे दी गई रिपोर्ट के आधार पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांग करने के तथ्यो का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, जिसमे आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी के गत माह दर्ज किये गये दो नामान्तकरण की एवज मे 4000 रूपये रिश्वत की मांग करना सत्यापित हुआ। सत्यापन के दौरान परिवादी द्वारा आरोपी पटवारी से भूमि का प्रमाण पत्र लिया गया। इस दौरान परिवादी के बताये अनुसार आरोपी पटवारी द्वारा 500 रूपये रिश्वत के भी प्राप्त किये गये। वक्त द्रैप आरोपी संदीप कुमार स्वामी पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग के अनुसरण में 4000 रूपये प्राप्त कर परिवादी के निवेदन पर 1000 रूपये उसे वापिस लौटाये गये, 3000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी पटवारी के पहनी जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब से बरामद हुई, तथा 1000 रूपये परिवादी से जब्त किये गये। कार्यवाही के दौरान आरोपी संदीप कुमार स्वामी पटवारी के दोनो हाथों की अगुलियां, अगूठे का तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थान जिन्स पेन्ट की सामने की बांयी जेब का धोवन लिया गया, जिससे आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने की पुष्टि हुई। इस प्रकार आरोपी संदीप कुमार स्वामी पटवारी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (ससोधन) अधिनियम 2018 के तहत प्रथम दृष्टिया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी एफआईआर विरुद्ध संदीप कुमार स्वामी राजस्व पटवारी, पटवार हल्का खारा तहसील व जिला बीकानेर वास्ते पंजीयन एवं कमाकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामे प्रेषित है।

> 9√ (आनन्द कुमार) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा ७ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री संदीप कुमार स्वामी, राजस्व पटवारी, पटवार हल्का खारा, तहसील व जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 173/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

कमांक: 1544-48 दिनांक: 10.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- **1.** विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. जिला कलक्टर, बीकानेर।
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।